न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)

प्रकरण संख्या – 72/2024 – निगरानी

1. सुनीतादेवी पत्नी राकेश कुमार बनाम चौधरी निवासी संवारिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक हाल निवासी प्रधानाचार्या, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, वार्ड नं. 15. फूलियाकलां जिला शाहपुरा ।
2. प्रहलाद माली पुत्र देवकरण माली निवासी माली मोहल्ला, फूलियाकलां जरिये अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, वार्ड नं. 15, फूलियाकलां जिला शाहपुरा।

–निगराकार

1. ग्राम पंचायत फूलियाकलां जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फूलियाकलां जिला शाहपुरा।
2. ग्राम पंचायत फूलियाकलां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत फूलियाकलां जिला शाहपुरा।
3. आम जनता फूलियाकला हस्ते पुजारी वर्तमान रमेशचन्द्र वैष्णव पुत्र प्रहलाद वैष्णव, तलिया सहजराम जी देव स्थान, फूलियाकलां जिला शाहपुरा।

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व बापी पट्टा दिनांक 24.08.1990–01–2007 पत्रावली स. 07 दिनांक 09.06.1989

उपस्थित –

1. श्री योगेन्द्र सिंह भाटी अधिवक्ता – निगराकारान की ओर से
2. श्री रमेश चन्द्र वैष्णव गैर निगराकर संख्या 03 स्वयं।

निर्णय

दिनांक 11.03.2024

निगराकारान की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत फूलियाकलां द्वारा आम जनता फूलियाकलां हस्ते पुजारी तलिया सहजराम जी देवस्थान फूलियाकलां के पक्ष में पत्रावली क्रमांक 07 दिनांक 09.06.1989 से 22308 वर्गफिट क्षेत्रफल का निशुल्क बापी पट्टा दिनांक 24.08.1990 को जारी कर किया गया। भूतपूर्व ग्राम सचिव एवं सरपंच ग्राम पंचायत फूलियाकलां को क्षेत्रफल 22308 वर्गफिट का पट्टा बनाये जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। निगराकारान् द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, वार्ड नं. 15, फूलियाकलां के पक्ष में विद्यालय के नाम नियमानुसार श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय में दिनांक 23.12.2023 को विद्यालय के लेटरहेड पर विद्यालय के नाम भूमि आवंटित करवाने हेतु पेश किया और निवेदन किया कि उक्त विद्यालय भवन का पट्टा बनवाया जाना आम जन एवं विद्यालय हित में आवश्यक

जिला कलक्टर
शाहपुरा

है। जिसके लिये निगराकारान् द्वारा गैर निगराकार सं. 01 व 02 को कई बार लिखित व मौखिक रुप से निवेदन किया गया जिसके बाद गैर निगराकारन् द्वारा जानकारी दी गई कि विद्यालय जहां वर्तमान में स्थापित है उस जगह का पट्टा पूर्व में ही आम जनता फूलियाकलां हस्ते पुजारी तलिया सहजरान जी देवस्थान के नाम जारी हो रखा है। वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, वार्ड नं. 15, फूलियाकलां विद्यालय जिस भूमि पर बना हुआ है, वह भूमि विद्यालय भवन के अन्दर ही देवस्थान के नाम बापी पट्टा जारी हो रखा है, इस कारण विद्यालय भवन के नाम पट्टा पूर्व में जारी उक्त विवादित बापी पट्टा निरस्त कराये जाने के पश्चात् ही जारी किया जाना सम्भव है। निगराकारान् द्वारा गैर निगराकारान् से उक्त बापी पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु कई प्रयास किये परन्तु प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। तथाकथित प्रभावशाली व्यक्ति उक्त बापी पट्टे के नाम व जगह का दुरुपयोग कर रहे है जिससे विद्यालय के संचालन एवं विद्यार्थियों शिक्षण कार्य में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। इस कारण निगराकारान् की निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी निगराकारान स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 03 के पक्ष में गैर निगराकार संख्या 01 व 02 द्वारा जारी किया गया उक्त बापी पट्टा दिनांक निरस्त फरमाया जाकर नवीन पट्टा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, वार्ड नं. 15, फूलियाकलां के पक्ष में जारी करने के आदेश फरमावें।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 26.02.2024 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 03 की ओर से दिनांक 01.03.2024 को जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब में निगराकार संख्या 03 द्वारा निगरानी में वर्णित सभी तथ्यों को स्वीकार किया जाकर बताया कि उक्त पट्टा विधि विरुद्ध जारी हुआ है। देव स्थान विद्यालय के मध्य में स्थित है। भौतिक रुप से मौके पर गैर कानूनी तरीके से लोगों ने दरवाजे खिड़कियां विद्यालय व देवस्थान की भूमि में खोल रखे है। अवैधानिक फर्जी पट्टा धारकों ने देवस्थान एवं विद्यालय के आम रास्ते को भी बंद कर दिया। अवैध पट्टा धारक एवं अतिक्रमियों द्वारा विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ आए दिन विवाद किया जाता है एवं विद्यालय परिसर में गंदगी फैला दी जाती है। साथ ही निवेदन किया के उक्त विवादित भूमि के बापी पट्टे को निरस्त कर अतिक्रमण हटाने के साथ नवीन पट्टा विद्यालय के पक्ष में जारी कराने के साथ ही देव स्थान की पूजा एवं भक्तों के लिए आने जाने व धार्मिक कार्यों के कोई रोक टोक नहीं हो ऐसा आदेश आदेश प्रदान करें।

दिनांक 04.03.2024 को अधिवक्ता निगराकारन् की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया गया कि उक्त विवादित बापी पट्टे को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत फूलियाकलां द्वारा तत्समय प्रवृत राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की। ग्राम पंचायत फूलियाकलां को उक्त तथाकथित बापी पट्टा आम जनता हस्ते पुजारी के नाम से जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। बापी पट्टा किस क्रमांक से जारी किया गया है इसका अंकन भी बापी पट्टे पर नहीं है। 22308 वर्ग फीट का पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं

जिला कलक्टर
शाहपुरा

है। अतः निवेदन है कि निगराकारान की निगरानी स्वीकार फरमायी ग्राम पंचायत फूलियाकलां द्वारा आम जनता फूलियाकलां हस्ते पुजारी तलिया सहजराम जी देवस्थान फूलियाकलां के पक्ष में पत्रावली क्रमांक 07 दिनांक 09.06.1989 से 22308 वर्गफिट क्षेत्रफल का निशुल्क बापी पट्टा दिनांक 24.08.1990 को जारी कर किया गया पट्टा निरस्त फरमाते हुए अतिक्रमण हटाने के साथ नवीन पट्टा विद्यालय के पक्ष में जारी कराने के आदेश प्रदान करावें।

निगराकार अधिवक्ता की लिखित बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि गैर निगराकार संख्या द्वारा जवाब में निगरानी में सभी तथ्यों को स्वीकार करने के साथ पट्टा विधि विरूद्ध होना स्वीकार किया है। उक्त विवादित बापी पट्टे की आड़ में भू माफियों द्वारा विद्यालय परिसर में अतिक्रमण कर विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान डाला जा रहा है। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 में कहीं भी यह अनुमत नहीं है कि ग्राम पंचायत 2400 वर्ग गज तक का निःशुल्क पट्टा जारी कर सकती है। ग्राम पंचायत फूलियाकलां द्वारा पत्रावली क्रमांक 07 दिनांक 09.06.1989 से 22308 वर्गफिट क्षेत्रफल का निःशुल्क बापी पट्टा दिनांक 24.08.1990 अधिक क्षैत्रफल का होने प्रारम्भ से ही शून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य ठहरता हैं। अतः विधि विरूद्ध जारी उक्त बापी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित एवं राज्य हित में है। अतएव–

आदेश

निगराकारान की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत फूलियाकलां द्वारा पत्रावली क्रमांक 07 दिनांक 09.06.1989 से 22308 वर्गफिट क्षेत्रफल का निःशुल्क बापी पट्टा दिनांक 24.08.1990 को निरस्त किया जाता हैं। निगराकारान को निर्देशित किया जाता है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के उक्त भूमि पट्टा जारी करवाने हेतु विधिवत ग्राम पंचायत फूलियाकलां आवेदन करें। विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय परिसर में व्याप्त अतिक्रमण को अतिशीघ्र हटाने की सुनिश्चितता करें। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहपुरा एवं ग्राम पंचायत फूलियाकलां, पंचायत समिति शाहपुरा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/3/24

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर,
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा